रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 527] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 10, 2000/आश्विन 18, 1922
No. 527] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 10, 2000/ASVINA 18, 1922

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2000

सा.का.नि. 782 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :

"सां.आ. 181"

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 5 आदेश, 2000

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 270 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 5 आदेश, 2000 है ।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है ।

3. (1) अनुच्छेद 270 के खंड (1) में निर्दिष्ट, व्यय और सेवाकरों से भिन्न ऐसे करों और शुल्कों के शुद्ध आगमों का प्रतिशत, जो 1 अप्रैल, 2000 से या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले, किन्तु 1 अप्रैल, 2005 से पूर्व

समाप्त होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उस अनुच्छेद के खंड (2) के अधीन राज्यों को समनुदेशित किए जाने हैं, अटठाईस प्रतिशत होगा और इसे राज्यों के बीच निम्नानुसार वितरित किया जाएगा :--

सारणी

राज्य	प्रतिशत
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	7.701
अरुणाचल प्रदेश	0.244
असम	3.285
बिहार	14.597
गोवा	0.206
गुजरात	2.821
हरियाणा	0.944
हिमाचल प्रदेश	0.683
जम्मू-कश्मीर	1.290
कर्नाटक	4.930
केरल	3.057
मध्य प्रदेश	8.838
महाराष्ट्र	4.632
मणिपुर	0.366
मेघालय	0.342
मिजोरम	0.198
नागालैंड	0.220
उड़ीसा	5.056
पंजाब	1.147
राजस्थान	5.473
सिक्किम	0.184
तमिलनाडु	5.385
त्रिपुरा	0.487
उत्तर प्रदेश	19.798
पश्चिम बंगाल	8.116

(2) ऐसे व्यय और सेवाकरों के, जो अनुच्छेद 270 के खंड (1) में निर्दिष्ट कर और शुल्क हैं, शुद्ध आगमों का प्रतिशत, जो 1 अप्रैल, 2000 से और उसके पश्चात् आरंभ होने वाले, किन्तु 1 अप्रैल, 2005 से पूर्व समाप्त होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, उस अनुच्छेद के खंड (2) के अधीन राज्यों को समनुदेशित किए जाने हैं, निम्नानुसार राज्यों को वितरित किया जाएगा :--

सारणी

राज्य	प्रतिशत
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	7.802
अरुणाचल प्रदेश	0.247
असम	3.328
बिहार	14.788
गोवा	0.209
गुजरात	2.858
हरियाणा	0.956
हिमाचल प्रदेश	0.692

1	2
कर्नाटक	4.994
केरल	3.097
मध्य प्रदेश	8.954
महाराष्ट्र	4.693
मणिपुर	0.371
मेघालय	0.346
मिजोरम	0.201
नागालैंड	0.223
उड़ीसा	5.122
पंजाब	1.162
राजस्थान	5.544
सिक्किम	0.186
तमिलनाडु	5.455
त्रिपुरा	0.493
उत्तर प्रदेश	20.057
पश्चिम बंगाल	8.222:

परन्तु जहां किसी वित्तीय वर्ष में व्यय और सेवा कर जम्मू-कश्मीर राज्य से उदग्रहणीय हो जाते हैं, वहां प्रत्येक राज्य को, जिसमें जम्मू-कश्मीर भी सम्मिलित है, पैरा 3 के उपपैरा (1) की सारणी के स्तंभ (2) में उसके सामने यथाविर्निदिष्ट अंश दिया जाएगा ।

(4) अनुच्छेद 270 के खंड (1) में निर्दिष्ट ऐसे करों और शुल्कों के, जो 1 अप्रैल, 2000 से या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किन्तु 1 अप्रैल, 2005 से पूर्व समाप्त होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में समनुदेशित किए जाने हैं, शुद्ध आगमों का डेढ़ प्रतिशत निम्नानुसार राज्यों के बीच वितरित किया जाएगा :--

सारणी

राज्य	प्रतिशत
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	7.701
अरुणाचल प्रदेश	0.244
असम	3.285
बिहार	14.597
गोवा	0.206
गुजरात	2.821
हरियाणा	0.944
हिमाचल प्रदेश	0.683
जम्मू-कश्मीर	1.290
कर्नाटक	4.930
केरल	3.057
मध्य प्रदेश	8.838
महाराष्ट्र	4.632
मणिपुर	0.366
मेघालय	0.342
मिजोरम	0.198
नागालैंड	0.220
उड़ीसा	5.056
पंजाब	1.147
राजस्थान	5.473
सिक्किम	0.184

1	2
तमिलनाडु	5.385
त्रिपुरा	0.487
उत्तर प्रदेश	19.798
पश्चिमी बंगाल	8.116:

परन्तु जहां कोई राज्य, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की पहली अनुसूची के स्तंभ (3) में वर्णित मालों में से किसी माल के विक्रय या क्रय पर कोई कर या शुल्क उदगृहीत करता है, वहां उस वर्ष में ऐसे राज्य को कोई अंश संदेय नहीं होगा ।

5. किसी आदेश या अधिनियम के अधीन, किसी राज्य को, 1 अप्रैल, 2000 को या उसके पश्चात् ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर जो 2000-2001 के लिए अंतरिम रिपोर्ट में अंतर्विष्ट हैं आयकर, संघीय उत्पाद-शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क और रेल यात्री किरायों पर कर के स्थान पर सहायता अनुदान में उस राज्य के अंश के रूप में संदत्त किसी राशि या राशियों को, उस राज्य को, उस वित्तीय वर्ष में, पैरा 3 और 4 के अनुसरण में संदेय किसी राशि या राशियों के प्रति समायेजित किया जाएगा :

परन्तु जहां किसी वर्ष में, किसी राज्य में संघीय कर या शुल्क उदगृहणीय नहीं है, वहां उस कर या शुल्क में उस राज्य के अंश को शून्य कर दिया जाएगा और संपूर्ण आगमों को शेष राज्यों में, उनके अंशों को आनुपातिक रूप से समायोजित करते हुए वितरित किया जाएगा ।

6. संविधान (राजस्व वितरण) संशोधन आदेश, 2000, 1 अप्रैल, 2000 से निरसित हो जाएगा ।

7. किसी राज्य को, उसकी हकदारी से अधिक संदत्त कोई राशि या राशियां, उसी या पश्चात्वर्ती वर्ष में वसूलनीय होंगी ।

के.आर. नारायणन,
राष्ट्रपति

[फा. सं. एच 19 (8)/2000-वि. 1]

सुभाष सी. जैन, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2000

G.S.R. 782 (E).—The following Order made by the President is published for general information :

"C.O.181"

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) No. 5 ORDER, 2000

In exercise of the powers conferred by article 270 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Eleventh Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 5 Order, 2000.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (*1*) The percentage of the net proceeds of taxes and duties referred to in clause (1) of article 270, other than the expenditure and service taxes, which are to be assigned to the States under clause (2) of that article in each financial year commencing on and after the

1st day of April, 2000 but ending before the 1st day of April, 2005, shall be twenty-eight per cent. and it shall be distributed among the States as follows:—

TABLE

State	Percentage
(1)	(2)
Andhra Pradesh	7.701
Arunachal Pradesh	0.244
Assam	3.285
Bihar	14.597
Goa	0.206
Gujarat	2 821
Haryana	0.944
Himachal Pradesh	0.683
Jammu and Kashmir	1.290
Karnataka	4.930
Kerala	3.057
Madhya Pradesh	8.838
Maharashtra	4.632
Manipur	0.366
Meghalaya	0.342
Mizoram	0.198
Nagaland	0.220
Orissa	5.056
Punjab	1.147
Rajasthan	5.473
Sikkim	0.184
Tamil Nadu	5.385
Tripura	0.487
Uttar Pradesh	19.798
West Bengal	8.116.

(2) The percentage of the net proceeds of the expenditure and service taxes, being the taxes and duties referred to in clause (1) of article 270, which are to be assigned to the States under clause (2) of that article, in each financial year commencing on and after the 1st day of April, 2000 but ending before the 1st day of April, 2005, shall be distributed among the States as follows:—

TABLE

State	Percentage
(1)	(2)
Andhra Pradesh	7.802
Arunachal Pradesh	0.247
Assam	3.328
Bihar	14.788
Goa	0.209
Gujarat	2.858
Haryana	0.956
Himachal Pradesh	0.692
Karnataka	4.994
Kerala	3.097
Madhya Pradesh	8 954
Maharashtra	4.693
Manipur	0.371
Meghalaya	0.346
Mizoram	0.201
Nagaland	0.223
Orissa	5.122
Punjab	1.162
Rajasthan	5.544
Sikkim	0.186
Tamil Nadu	5.455
Tripura	0.493
Uttar Pradesh	20.057
West Bengal	8.222:

Provided that where in any year the expenditure and service taxes become leviable in the State of Jammu and Kashmir, each State including Jammu and Kashmir shall be given a share as specified against it in column (2) of the Table to sub-paragraph (*1*) of paragraph 3.

4. One and one-half per cent. of the net proceeds of taxes and duties referred to in clause (1) of article 270, which are to be assigned to the States under clause (2) of that article in each financial year commencing on and after the 1st day of April, 2000 but ending before the 1st day of April, 2005, shall be distributed among the States as follows:—

TABLE

State	Percentage
(1)	(2)
Andhra Pradesh	7.701
Arunachal Pradesh	0.244
Assam	3.285
Bihar	14.597
Goa	0.206
Gujarat	2.821
Haryana	0.944
Himachal Pradesh	0.683
Jammu and Kashmir	1.290
Karnataka	4.930
Kerala	3.057
Madhya Pradesh	8.838
Maharashtra	4.632
Manipur	0.366
Meghalaya	0.342
Mizoram	0.198
Nagaland	0.220
Orissa	5.056
Punjab	1.147
Rajasthan	5.473
Sikkim	0.184
Tamil Nadu	5.385
Tripura	0.487
Uttar Pradesh	19.798
West Bengal	8.116:

Provided that no share shall be payable to a State in a year where that State levies any tax or duty on the sale or purchase of any of the goods described in column (3) of the First Schedule to the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957).

5. Any sum or sums paid to any State on or after the 1st day of April, 2000 under any Order or Act towards its share in the income-tax, union excise duties, additional excise duties and grants-in-aid in lieu of tax on railway passenger fares on the basis of the recommendation of the Eleventh Finance Commission as contained in its interim report for 2000-2001 shall be adjusted against the sum or sums payable to that State in that financial year in pursuance of paragraphs 3 and 4:

Provided that where in any year a Union tax or duty is not leviable in a State, the share of that State in that tax or duty shall be put to *nil* and the entire proceeds shall be distributed among the remaining States by proportionately adjusting their share.

6. The Constitution (Distribution of Revenues) Amendment Order, 2000, shall, as from the 1st day of April, 2000, stand repealed.

7. Any sum or sums paid to a State in excess of its entitlement shall be recoverable in the same or a subsequent year.

K. R. NARAYANAN,
President

[F. No. 19 (8)/2000 L. I]
SUBHASH C. JAIN, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054